

**अनुदान संख्या 17 – कारपोरेट कार्य मंत्रालय**  
**GRANT No. 17 - MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	567,65,00		
			598,48,00	574,44,97
पूरक	Supplementary	30,83,00		-24,03,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			19,21,86
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	26,50,00		
			45,50,00	35,96,92
पूरक	Supplementary	19,00,00		-9,53,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹2403.03 लाख) जुलाई, 2018 और दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹3083.00 लाख के पूरक अनुदानों का 78 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों का अंतर्गत हुई/हुआ:-

**Notes and comments**

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹2403.03 lakhs) constituted 78 percent of the supplementary grants of ₹3083.00 lakhs obtained in July, 2018 and December, 2018 and 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत—  
Saving -  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय— आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	32010.00	33918.06	33900.80	-17.26
पू.	S.	3081.00			
पु.	R.	-1172.94			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	24755.00	24008.08	23544.17	-463.91
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-748.92			

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹3.00 लाख का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – कारपोरेट कार्य मंत्रालय" – के अंतर्गत ₹29010.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹3081.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹32091.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो आधार बायोमीट्रिक प्रमाणन प्रणाली का कार्यान्वयन न होने तथा वेतनों, विदेशी यात्रा खर्चों और छुट्टी यात्रा रियायत दावों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण ₹1190.20 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Corporate Affairs" - the original provision of ₹29010.00 lakhs was augmented to ₹32091.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3081.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹1190.20 lakhs - due to non-implementation of AADHAR biometric authentication system and requirement of less funds towards salaries, foreign travel expenses and leave travel concession.

(III) मुख्य शीर्ष "3475" – "अन्य व्यय – गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय" – के अंतर्गत ₹4107.43 लाख की बचत (₹6222.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) "पूर्व सूचना प्रणाली" परियोजना के लिए संविदा देने संबंधी कार्रवाई शुरू न होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3475" - "Other Expenditure - Serious Fraud Investigation Office" - saving of ₹4107.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6222.00 lakhs) was due to non-initiation of awarding of contract for "Early Warning System" project.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹256.27 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 42 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹962.18 लाख) प्रयुक्त हो गई थीं जैसा कि मुख्य शीर्ष “3475” – “संयुक्त स्टॉक कंपनियों का विनियमन – भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड” के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹961.18 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “3475” – “संयुक्त स्टॉक कंपनियों का विनियमन – कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई थीं – ₹641.94 लाख का अधिक व्यय (₹5304.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विजयवाड़ा में नए कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना और घरेलू यात्रा खर्चों, चिकित्सा दावों, प्रकाशनों, कार्यालय खर्चों तथा अधिक दौरे किए जाने के कारण हुआ था।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹769.60 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत था। इसमें एक ऐसा शीर्ष शामिल है जिसमें समग्र व्यय निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹953.08 लाख) दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹1900.00 लाख के पूरक अनुदान का 50 प्रतिशत थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under one head saving of ₹256.27 lakhs occurred constituting 42 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹962.18 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under Major Head “3475” – “Regulation of Joint Stock Companies - Insolvency and Bankruptcy Board of India”. Actual excess, however, was ₹961.18 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “3475” – “Regulation of Joint Stock Companies - Registrar of Companies under Companies Act” - excess of ₹641.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5304.00 lakhs) was due to setting up of new Registrar of Companies office at Vijayawada and requirement of additional funds towards domestic travel expenses, medical claims, publications, office expenses and more tours undertaken.

(III) Under two heads excess of ₹769.60 lakhs occurred constituting 21 percent of the sanctioned provision. This includes one head where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹953.08 lakhs) constituted 50 percent of the supplementary grant of ₹1900.00 lakhs obtained in December, 2018 and 21 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत—  
Saving -  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"			
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on other General Economic Services			
मू.	O.	2650.00	4550.00	3596.92
पू.	S.	1900.00		
(I) "अन्य व्यय - कर्मचारियों के लिए भूमि/भवन की खरीद/कार्यालय परिसर/रिहायशी आवास का निर्माण" -			(I) Under "Other Expenditure - Purchase of Land/Building/Construction of Office Premises/	
				-953.08

---